130

Corporation has reported that shops/kiosks under its control are disposed of in accordance with the provisions contained in Section 200 (d) of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

- (b) In the context of the position indicated in reply to part (a), no such proposal is under consideration.
 - (c) Does not arise.

Medical Reimbursement Claims of NDMC Teachers

6617. SHRI JAI NARAYAN ROAT: Will the Minister of WORKS AND HOUS-ING be pleased to state:

- (a) whether some medical reimbursement claims of New Delhi Municipal Committee's teachers have been pending with NDMC since 1980;
- (b) whether it is a fact that some Members of Parliament have also sent letters to the President of NDMC in this regard; and
- (c) if so, the details thereof and the reasons therefor and when they are likely to be cleared off?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) No, Sir.

- (b) Yes, Sir.
- (c) The NDMC has informed that letters from two Members of Parliament in regard to medical reimbursement claim of a teacher relating to the year 1980 were received. However, no such claim has been received in the Health Deptt. of the NDMC and one of two communications from Members of Parliament has already been replied to accordingly.

Amount Earmarked for Dry Farming

6618. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the details of amount earmarked for 1983-84 for development of dry farming?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN): Government of India supplement the efforts of State Governments for development of dryland farming by providing financial assistance through various Central/Centrally Sponsored Programmes. A token provision of Rs. 101.70 lakhs has been made for the year 1983-84 under various schemes for development of dryland agriculture in the Budget of Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture. For research on dryland agriculture, Indian Council of Agricultural Research have made provision of Rs. 93.01 lakhs for All India Coordinated Research Project on Dryland Agriculture. Ministry of Rural Development also encourages development of dryland farming under Drought Prone Areas Programme, but no specific funds have been earmarked for dryland agriculture development.

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण संबंधी नियमों को उदार बनाना

- 6619. श्री अनवर अहमद: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि:
- (क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ महीने पहले मकान बनाने के लिए ऋण संबंधी नियमों को उदार बनाया था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त कतिपय वित्तीय संस्थानों से भी ऋण ले सकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ये नियम दिल्ली विकास प्राधि-करण द्वारा आवंटित प्लाटों पर रिहायशी मकान बनाने के लिए ऋण पर भी लागू होते हैं और यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में प्लाट को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में गिरवी रखना आवश्यक नहीं होगा;

the second second section who have

(घ) क्या सरकार द्वारा प्राधिकृत वित्तीय

संस्थान प्लाट को गिरवी रखे बिना दूसरे प्रभार के अधीन ऋण देंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आई/17011/4/82-आवास-III अन्तर्गत यह निर्णय लिया है कि उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने सरकार से गह निर्माण अग्रिम प्राप्त किया, सम्पत्ति को दुबारा रेहन रखने की अनुमति दी जाए ताकि वे कुछ मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकें बशतें कि वे पहले विभागा-ध्यक्ष की पूर्वानुमति प्राप्त करलें और द्वितीय बन्धक पत्र के प्रारूप के विभागाध्यक्ष को जांच-पडताल के लिए प्रस्तुत करें। इस प्रकार दुबारा रेहन रखना मकान/फ्लैंटों की शेष लागत को पुरा करने के लिए निम्नांकित वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के बारे में ही किया जाए।

- 1. सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग संस्थान
- राज्य सरकारों द्वारा स्थापित वित्तीय निगम जो मकान बनाने के लिए ऋण देते हैं।
- 3. दिल्ली कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी जैसे एपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन्स
- 4. हाउसिंग डवैलयमैन्ट फाइनेन्स कारपो-रेशन लिमिटेड जैसी भारत में बनाई गई और पंजीकृत सार्वजिनक कम्पनियां जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में रिहायशी

प्रयोजनों के लिए मकान बनाने या खरीदने के लिए दीर्घाकालीन वित्त व्यवस्था करने का कार्य करना हो।

- 2. सरकार द्वारा स्वीकृत गृह निर्माण अग्निम की कुल राशि और सरकारी कर्मचारियों द्वारा बाहरी संस्थानों से लिया गया ऋण एक साथ मिलाकर निर्धारित अधिकतम सीमा लागत जो कि उस विशेष मामले पर लागू होती है से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3. यह सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा कि वे विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने से पूर्व दूसरी बार रेहन रखने के लिए वित्तीय संस्थान की सहमति का पता लगाना होगा। सभी मामलों में बन्धक पत्रादि के पंजीकरण पर व्यय, जैसा कि इस समय है, स्वयं सरकारी कर्मचारियों द्वारा वहन करना होगा।

Wrong Fixation of the Amount of Monthly Instalments for DDA's LIG Flats

6620. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI: SHRIJAIPAL SINGH KASH-YAP:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

- (a) whether a prospective buyer of DDA flats having an annual income between Rs. 4201 and Rs. 7200 becomes eligible for LIG flat and that on allotment of a flat he has to pay more than Rs. 400 as monthly instalment after payment of initial deposit of Rs. 10,800 towards cost of the flat;
- (b) if so, what is the rationale of fixing the amount of monthly instalments at Rs. 400/- or more when the income of the eligible person for LIG flat is taken between Rs. 350/- and Rs. 600/-;
- (c) whether Government propose to consider the question of downwards revision